

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -98

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02233

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "कृष्णा विहार फेस-3बी", प्रमोटर-प्रखर बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स, द्वारा-श्री गौरव अग्रवाल,पता-कृष्णा विहार छिगरापुर चौक, रायगढ़ प्रोजेक्ट-"कृष्णा विहार फेस-3बी" पता-भगवानपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/01/2025	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 10,000/- को अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 27.06.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत किया गया है। चालान की मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर, प्रकरण में छायाप्रति संलग्न किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट की पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 06.11.2024 को प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	